संख्या – 5040/आठ–1–08–01विविध/2000

प्रेषक,

**हरमिन्दर राज सिंह**

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष**
   विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 04 सितम्बर, 2008

**विषय : वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओ.टी.एस.)–2002 की समय–सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या : 4297(1)/आठ–1–08–01 विविध/2000 दिनांक 17.03.08 जिसके द्वारा प्रश्नगत योजना के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्लू.एस.) एवं अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) आवंटी उक्त योजना का लाभ उठाने से वंचित है।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 17.03.08 द्वारा दी गयी छूट की समय–सीमा अब समाप्त हो गयी है, किन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि अभी भी दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्लू.एस.) एवं अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) आवंटी उक्त योजना का लाभ उठाने से वंचित हैं।

3. अतः इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्लू.एस.) एवं अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) के आवंटियों हेतु उक्त योजना के अंतर्गत धनराशि जमा कर लाभ पहुंचाने हेतु दिनांक 31.12.08 तक पुनः छूट प्रदान की जाती है। शेष शर्ते ओ.टी.एस. योजना–2002 हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 12.08.02 एवं 30.10.02 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगी। कृपया विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य सूचना माध्यमों से उक्त योजना का ब्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**हरमिन्दर राज सिंह**
प्रमुख सचिव

,

**संख्या 5040(1)/आठ–1–08, तद्दिनॉक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी प्राधिकरणों/परिषद में सब रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित कराने का स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा. मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए इसे समस्त संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**एच.पी. सिंह**
अनु सचिव।